तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II – खण्ड 1

PART II - Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 23,2005/ आषाढ़ 2, 1927
No. 27]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 23, 2005/ASADHA 2, 1927

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005
सं० 2005 का 24

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

केन्द्रीय सरकार की साधारण शक्तियां

3. पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उपाय करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां।

अध्याय 3

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

4. प्राधिकरण की स्थापना और अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति।
5. सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं।
6. पुनर्नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता।
7. प्राधिकरण के अधिवेशन।
8. प्राधिकरण में रिक्ति से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना।
9. प्राधिकरण के अधिकारियों, परामर्शियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।
10. प्राधिकरण के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण।

अध्याय 4

प्राधिकारण की शक्तियां और कृत्य

11. प्राधिकरण के कृत्य।
12. प्रवेश करने की शक्ति।
13. तटीय जलकृषि के लिए रजिस्ट्रीकरण।
14. रजिस्ट्रीकरण के बिना तटीय जलकृषि करने के लिए दंड।
15. अपराध का संज्ञान।

अध्याय 5

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

16. प्राधिकरण को संदाय।
17. प्राधिकरण की निधि।
18. बजट।
19. वार्षिक रिपोर्ट।
20. लेखा और संपरीक्षा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

21. प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों आदि का लोकसेवक होना।
22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
23. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
24. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
25. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति।
26. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।
27. विधिमान्यकरण।

2.(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) “प्रधिकरण” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

2.(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) “प्रधिकरण” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(दि कोस्टल एक्वाकल्चर अथारिटी एक्ट, **2005** का हिन्दी अनुवाद)

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005

तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि से संबंधित क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

अध्याय **1**

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 है।

(2) धारा 27 के उपबंध तुरंत प्रवृत्त होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं :

(ख) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "तटीय जलकृषि" से तटीय क्षेत्रों में, तालों, बाड़ों और अहातों में या अन्यथा नियंत्रित दशाओं के अधीन लवणीय या खारे जल में श्रिम्प (चिंगर), झींगा, मछली या किसी अन्य जलीय जीव का पालन करना अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत ताजा जल में जलकृषि नहीं है;

(घ) "तटीय क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 114 (अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 में तत्समय तट विनियमन जोन के रूप में घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य क्षेत्र भी है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

(ङ) "सदस्य" से धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्य–सचिव भी है;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(छ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

1986 का 29

अध्याय 2

केन्द्रीय सरकार की साधारण शक्तियां

पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उपाय करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां।

3. केन्द्रीय सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तटीय जलकृषि से तटीय पर्यावरण का कोई अहित कारित नहीं होगा, मार्ग दर्शक सिद्धांत विहित करके तटीय जलकृषि के विनियमन के लिए ऐसे सभी उपाय करेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे और मार्गदर्शक सिद्धांतों में अंतर्विष्ट उत्तरदायी तटीय जलकृषि की संकल्पना का तटीय क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की जीविका का संरक्षण करने के लिए तटीय जलकृषि क्रियाकलापों को विनियमित करने में अनुसरण किया जाएगा।

अध्याय 3

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

प्राधिकरण की स्थापना और अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति।

4.(1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में आधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के नाम के एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी ।

(2) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे केन्द्रीय सरकार विनिश्चित करे ।

(3) प्राधिकरण निम्नलिखित ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है ;

(ख) एक सदस्य, जो तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो;

(ग) एक सदस्य, जो तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, जिसे केन्द्रीय सरकार के समुद्र विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(घ) एक सदस्य, जो पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, जिसे केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ङ) केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय का प्रातिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य;

(च) केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य;

(छ) तटीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य चक्रानुक्रम के आधार पर;

(ज) एस सदस्य–सचिव।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(5) सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं।

5. कोई व्यक्ति सदस्य के रुप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा यदि वह –

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है, सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है; या

(ख) अनुन्माचित दिवालिया है; या

(ग) विकृतचित का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(घ) सरकार की या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है; या

(ड़) केन्द्रीय सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे सदस्य के रुप में उसके द्वारा उसके कृत्यों का निर्वहन करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

पुनर्नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता।

6. धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो सदस्य नहीं रहा है, ऐसे सदस्य के रुप में दो क्रमवर्ती पदावधियों से अनधिक के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

प्राधिकरण के अधिवेशन।

7. (1) प्राधिकरण ऐसे समयों और स्थानों पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में, (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है), प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए।

(2) यदि किसी कारण से, अध्यक्ष प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो प्राधिकरण के किसी अधिवेशन के समक्ष आएं, विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

प्राधिकरण रिक्ति से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना।

8. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि –

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रुप में कार्यरत किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्राधिकरण के अधिकारियों, परामर्शियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

9. (1) प्राधिकरण, अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को जो वह ठीक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) प्राधिकरण, समय–समय पर, किसी ऐसे व्यक्ति को सलाहकार या परामर्शी के रुप में जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियक्त कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

प्राधिकरण के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण।

10. प्राधिकरण के सभी आदेश, विनिश्चय और लिखित अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत्त प्राधिकरण के किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

अध्याय 4
प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

प्राधिकरण के कृत्य ।

11. (1) धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्ही मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) तटीय क्षेत्रों के भीतर जलकृषि फार्मों के सन्निर्माण और प्रचालन के लिए विनियम बनाना;

(ख) जलकृषि फार्मों का, तटीय जलकृषि द्वारा कारित उनके पर्यावरणीय प्रभाव को अभिनिश्चित करने की दृष्टि से, निरीक्षण करना;

(ग) तटीय जलकृषि फार्मों को रजिस्टर करना;

(घ) ऐसे किन्हीं तटीय जलकृषि फार्मों को, जो प्रदूषण कारित कर रहे हैं, फार्म के अधिभोगी को सुनने के पश्चात् हटाने या ढा देने का आदेश देना; और

(ड़) ऐसे अन्य कृत्य करना जो विहित किए जाएं।

(2) जहां प्राधिकरण, उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन किसी तटीय जलकृषि फार्म को हटाने या ढा देने का आदेश देता है वहां उक्त फार्म के कर्मकार को ऐसे प्रतिकार का संदाय किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक व्यक्ति वाले प्राधिकारी के माध्यम से कर्मकारों और प्रबंध–मंडल के बीच तय किया जाए और ऐसा प्राधिकारी ऐसे प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियों का, जो विहित की जाएं, प्रयोग कर सकेगा।

प्रवेश करने की शक्ति।

12. इस निमित्त बनाए गए किसी नियम केअधीन रहते हुए, प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जहां कहीं इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त समयों पर, किसी तटीय जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते में प्रवेश कर सकेगा, और,–

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकण या जांच कर सकेगा;

(ख) उसमें की किसी संरचना को हटा सकेगा या ढा सकेगा;

(ग) ऐसे अन्य कार्य या बात कर सकेगा जो विहित की जाएः

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, किसी तटीय जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते में प्रवेश ऐसी जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते के अधिभोगी को कम से कम चौबीस घंटे पूर्व ऐसा करने के अपने आशय की लिखित रुप में सूचना दिए बिना नहीं करेगा।

तटीय जलकृषि के लिए रजिस्ट्रीकरण।

13. (1) इस धारा में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति तटीय क्षेत्र में तटीय जलकृषि या ऐसे परंपरागत तटीय जलकृषि फार्म में, जो उपधारा (9) में निर्दिष्ट तट विनियमन जोन के अंदर पड़ता है और नियत दिन को जिसका उपयोग तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है, परंपरागत तटीय जलकृषि तब तक नहीं करेगा या नहीं कराएगा जब तक कि उसने अपने फार्म को, यथास्थिति, उपधारा (5) के अधीन या उपधारा (9) के अनुसरण में प्राधिकरण के पास रजिस्टर न कराया हो।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पहले तटीय जलकृषि में लगा हुआ है, उस दिन से तीन मास की अवधि तक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के बिना, और यदि वह तीन पास की उक्त अवधि के भीतर उपधारा (4) के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है तो प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवेदन के निपटारे की उसे संसूचना तक ऐसा क्रियाकलाप करता रह सकेगा।

(3) उपधारा (5) के अधीन या उपधारा (9) के अनुसरण में किया गया रजिस्ट्रीकरण–

(क) पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा;

(ख) समय–समय पर उतनी ही अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा;

(ग) ऐसे प्ररुप में होगा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(4) कोई व्यक्ति, जो तटीय जलकृषि करने का आशय रखता है, प्राधिकरण के समक्ष अपने फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररुप में करेगा और जिसके साथ ऐसी फीस होगी, जो उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए विहित की जाए।

(5) प्राधिकरण, उपधारा (4) के अधीन फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, उस आवेदन पर विहित रीति से विचार करेगा और आवेदन पर विचार करने के पश्चात् या तो फार्म को रजिस्टर करेगा या आवेदन को नामंजूर कर देगाः

परंतु प्राधिकरण आवेदन को, ऐसी नामंजूरी के कारणों को लेखबद्ध किए बिना नामंजूर नहीं करेगा।

(6) प्राधिकरण, उपधारा (5) के अधीन फार्म को रजिस्टर करने के पश्चात्, उस व्यक्ति को, जिसने ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, विहित प्ररुप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(7) ऐसे फार्म की दशा में जिसमें दो हेक्टेयर से अधिक जलमग्न क्षेत्र समाविष्ट है, तटीय जलकृषि से संबंधित कोई क्रियाकलाप प्रारंभ करने के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई आवेदन उपधारा (5) के अधीन तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राधिकरण का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे फार्म का रजिस्ट्रीकरण तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होगा।

(8) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, –

(क) कोई भी तटीय जलकृषि उच्च ज्वार सीमाओं से दो सौ मीटर के अंदर नहीं की जाएगी; और

1986 का 29। (ख) कोई भी तटीय जलकृषि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन तत्समय घोषित तट विनियमन जोन के अंदर संकरी खाड़ियों, नदियों और अप्रवाही जलों में नहीं की जाएगीः

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे तटीय जलकृषि फार्म की दशा में, जो नियत दिन को विद्यमान है और सरकार के या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित या उसके द्वारा संचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित गैर वाणिज्यिक और प्रयोगात्मक तटीय जलकृषि फार्म को लागू नहीं होगी:

परंतु यह और कि प्राधिकरण, पहले परंतुक के अधीन छूट प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, समय समय पर तटीय जलकृषि फार्मों की विद्यमानता और उसके क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और इस धारा के उपबंध ऐसे पुनर्विलोकन को ध्यान में रखते हुए तटीय जलकृषि फार्मों को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "उच्च ज्वार सीमा" से भूमि पर ऐसी सीमा अभिप्रेत है जिस तक बहुत ज्वार के दौरान उच्चतम जल लहरें पहुंचती है।

(9) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसा परंपरागत तटीय कृषि फार्म जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की अधिसूचना संक्या का०आ०114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा घोषित तट विनियमन जोन के अंदर पड़ता है और जिसका उपयोग नियत दिन को तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है, प्राधिकरण के समक्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसे फार्म का स्वामी है, ऐसे स्वामित्व का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके उपधारा (5) के अधीन रजिस्टर किया जाएगा जिसके न हो सकने पर ऐसे फार्म को उपधारा (5) के अधीन रजिस्टर नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ऐसे फार्म का एक वर्ष के भीतर तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं करता है तो प्राधिकरण द्वारा उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

(10) ऐसा व्यक्ति जिसका आशय उपधारा (5) के अधीन या उपधारा (9) के अनुसरण में किए गए फार्म के रजिस्ट्रकरण को नवीकृत कराने का है, प्राधिकरण को ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से पूर्व दो मास के भीतर विहित प्ररुप के विहित फीस के साथ आवेदन कर सकेगा और प्राधिकरण, ऐसे आवेदन को प्राप्त करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करेगा और उस प्रयोजन के लिए उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए ऐसे फार्म से संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर अपनी मुद्रा सहित प्रविष्टि करेगा।

(11) यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसे रजिस्ट्रीकरण किया गया था, ऐसे फार्म का तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग करने में असफल रहा है या उसने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना इस अधिनियम, असके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का या धारा 11 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अतिक्रमण किया है तो प्राधिकरण उपधारा (10) के अधीन फार्म के रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करने से इंकार कर सकेगाः

परंतु ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करने से इंकार नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नियत दिन" से प्राधिकरण की स्थापना की तारीख अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2 – शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (10) और उपधारा (11) में प्रयुक्त, "रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करना" पद का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण को और नवीकृत करना है।

रजिस्ट्रीकरण के बिना तटीय जलकृषि करने के लिए दंड।

14. यदि कोई व्यक्ति धारा 13 की उपधारा (1) के उल्लंघन में कोई तटीय जलकृषि या परंपरागत तटीय जलकृषि करेगा या तटीय जलकृषि या परंपरागत तटीय जलकृषि कराएगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

अपराध का संज्ञान।

15. कोई भी न्यायालय धारा 14 के अधीन अपराध का संज्ञान प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्रधिकृत उसके अधिकारी द्वारा फाइल किए गए लिखित परिवाद के बिना नहीं करेगा।

अध्याय **5**
वित्त, लेखा और संपरीक्षा

प्राधिकरण को संदाय।

16. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझी जाए।

प्राधिकरण की निधि ।

17. (1) प्राधिकरण की अपनी निधि होगी और ऐसी सभी धनराशियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय–समय पर संदत्त की जाएं तथा प्राधिकरण की सभी प्राप्तियां (जिनके अंतर्गत कोई ऐसी धनराशि भी है जो कोई राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति प्राधिकरण को सौंपे) उक्त निधि में जमा की जाएंगी और प्राधिकरण द्वारा सभी संदाय उसमें से किए जाएंगे।

(2) निधि के सभी धन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए ऐसे बैंकों में जमा किए जाएंगे या ऐसी रीति से विनिहित किए जाएंगे जो प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाए।

(3) प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए उतनी धनराशि व्यय कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी धनराशि को प्राधिकरण की निधि में से संदेय व्यय माना जाएगा।

बजट ।

18. प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररुप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाएगा, बजट तैयार करेगा, जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगे और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

19. प्राधिकरण प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में एक बार ऐसे प्ररुप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्व वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सही और पूरा विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

लेखा और संपरीक्षा।

20. (1) प्राधिकरण, अपने लेखाओं के संबंध में ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति से, जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित की जाए, लेखा बहियां और अन्य बहियां रखवाएगा।

(2) प्राधिकरण, अपने वार्षिक लेखे बंद करने के पश्चात् यथाशीघ्र, ऐसे प्ररुप में एक विवरण तैयार करेगा और उसे ऐसी तारीख तक भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को भेजेगा,जो केन्द्रीय सरकार, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के परामर्श से अवधारित करे।

(3) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे समय पर और ऐसी रीति से की जाएगी जो वह ठीक समझे।

(4) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय **6**
प्रकीर्ण

प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, अधि – कारियों और अन्य कर्मचारियों आदि का लोक सेवक होना।

1860 का 45। 21. प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य तथा अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

22. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी विनियम या नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशायित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के विरुद्ध या अध्यक्ष या अन्य सदस्यों द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

24. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 3 के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांत;

(ख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ग) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड के अधीन प्राधिकरण के अन्य कृत्य;

(घ) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां;

(ड़) वे नियम जिनके अधीन रहते हुए, धारा 12 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उस धारा के अधीन किसी तटीय जलकृषि भूमि,ताल, बाड़े या अहाते में प्रवेश कर सकेगा;

(च) धारा 12 के खंड (ग) के अधीन अन्य कार्य और बातें;

(छ) धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन का प्ररुप और उसके साथ दी जाने वाली फीस;

(ज) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन आवेदन पर विचार करने की रीति;

(झ) धारा 13 की उपधारा (6) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररुप;

(ञ) धारा 13 की उपधारा (10) के अधीन आवेदन का प्ररुप और उसके साथ दी जाने वाली फीस;

(ट) धारा 18 के अधीन बजट तैयार करने का प्ररुप और समय;

(ठ) धारा 19 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररुप और समय;

(ड) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के लेखाओं के संबंध में रखी जाने वाली लेका बहियां और अन्य बहियां तथा ऐसी लेका बहियों और अन्य बहियों का प्ररुप और उन्हें बनाए रखने की रीति; और

(ढ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति।

25. (1) प्राधिकरण, साधारणतया इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्ः–

(क) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के अधिवेशनों के समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए (उसके लिए गणपूर्ति सहित) अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें;

(ग) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन सलाहकार या परामर्शी की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें;

(घ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन तटीय क्षेत्रों के भीतर तटीय जलकृषि फार्मों का संनिर्माण और प्रचालन;

(ड़) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्ररुप और शर्तें;

(च) साधारणतया तटीय जलकृषि का बेहतर विनियमन।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

26. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमंत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विधिमान्यकरण।

27. (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) में या पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की तारीख 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना सं०का०आ० 114(अ) में (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) पैरा 2 के उपपैरा (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा और वह सदैव 19 फरवरी, 1991 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:–

"(xiv) इस पैरा में अंतर्विष्ट कोई बात तटीय जलकृषि को लागू नहीं होगी।"।

(2) उक्त अधिसूचना सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रभावी होगी और सदैव ऐसे प्रभावी समझी जाएगी मानो इस धारा के पूर्वगामी उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे और तद्नुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कोई तटीय जलकृषि जो की गई थी या हाथ में ली गई थी अथवा जिसका किया जाना या हाथ में लिया जाना तात्पर्यित है उक्त अधिसूचना के उल्लंघन में नहीं समझी जाएगी और सभी प्रयोजनों के लिए विधि के अनुसार ऐसे की गई और सदैव की जा रही समझी जाएगी मानो इस धारा के पूर्वगामी उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे और पूर्वोक्त रुप में किसी बात के होते हुए

भी पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई डिक्री या आदेश देने वाले न्यायालय द्वारा किसी तटीय जलकृषि संबंधी क्रियाकलाप को हटाने या बंद करने का अथवा तद्धीन संबंधित किसी संरचना को ढा देने का, जिसको, यदि इस धारा के पूर्वगामी उपबंध उन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहे होते तो हटाए जाने, बंद किए जाने या ढा दिए जाने की इस प्रकार आवश्यकता नहीं होती, निदेश देते हुए दिए गए किसी निदेश के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।